संख्या-224/2016/3560/26-3-2016-10(1)/2008

प्रेषक,

कामता प्रसाद
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 16 दिसम्बर, 2016

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को विभिन्न आयोगों तथा संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाने वाली अधिकारी ग्रेड की परीक्षाओं तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये आयोजित परीक्षाओं हेतु निःशुल्क कोचिंग योजनान्तर्गत गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में चयनित संस्थाओं के भुगतान हेतु अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, निदेशालय, समाज कल्याण के पत्र संख्या-800/स0क0/विकास/कोचिंग-36-2014-15/2016-17, दिनांक-22.08.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-78/2016/1181/ 26-3-2016-10(1)/2008 दिनांक-13.04.2016 एवं शासनादेश संख्या-152/2016/2076/26-3-2016-10(1)/2008, दिनांक-10.08.2016 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को परीक्षापूर्व प्रशिक्षण हेतु प्राविधान धनराशि रूपया-100.00 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि रूपया-100.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये निदेशक, समाज कल्याण के निवर्तन पर रखा गया है।

3- अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को विभिन्न आयोगो व संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाने वाली अधिकारी ग्रेड की परीक्षाओं तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश करने के लिये आयोजित परीक्षाओं निःशुल्क कोचिंग हेतु हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत धनराशि रूपया-100.00 लाख (रूपया एक करोड़ मात्र) को गत वित्तीय वर्ष 2015-16 की लम्बित देयता की कुल धनराशि रूपया-100.00 लाख (रूपया एक करोड़ मात्र) के भुगतान की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि भुगतान की गयी धनराशि का पूर्ण विवरण शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0सं0-224/2016/3560(1)/26-3-2016 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0इलाहाबाद।

3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, इन्दिर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।

5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

6- राज्य योजना आयोग-1/2

7- निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन लखनऊ।

8- बजट प्रकोष्ठ (समाज कल्याण) उ0प्र0शासन।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।